



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]  
No. 47]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1987/कार्तिक 30, 1909  
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1987/KARTIKA 30, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I) PART II—Section 3—Sub-section (I)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर)  
केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम,  
जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general  
character issued by the Ministries of the Government of India (other than  
the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the  
Administrations of Union Territories)

Page 3284

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1987

भा. का. नि. 868 .....राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद  
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,  
भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981 का और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रसारण  
(इंजीनियर) सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा नियम, 1981  
के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)  
नियम 7 के उपनियम (2) में, खंड (क) को खंड “(क) (i)”  
के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः

संख्यांकित खंड "(क)(1)" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(क) (ii) खंड (क)(i) में अंतर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी, नियंत्रण प्राधिकारी, परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों के कम पड़ जाने की दशा में, कनिष्ठ वेतनमान की रक्तियां आयोग द्वारा विनिश्चित की जाने वाली भर्ती की किसी भी रीति से आयोग के माध्यम से भर सकेगा और यदि भर्ती विशेष परीक्षा करके या साक्षात्कार द्वारा चयन करके सीधी भर्ती द्वारा की जाती है तो ऐसी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा वे होंगी, जो अनुसूची II-क में विनिर्दिष्ट की गई हैं।"

3. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"3(क) नियम 7 के उपनियम (2) (क) (1) और नियम (2) (क) (ii) के अधीन सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की बाबत, परीक्षा/विशेष परीक्षा के परिणामों के प्रकाशन की तारीख और सीधी भर्ती की किसी अन्य रीति द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की बाबत, अभ्यर्थियों की सिफारिश करने वाले आयोग के पत्र की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची 2क

(नियम 7 का उप नियम 2(क) (ii) देखिए)

1. संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भारतीय प्रसारण (इंजीनियर) सेवा में सम्मिलित कनिष्ठ वेतनमान में समूह "क" में के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा।

अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:—  
आवश्यक:

1. निम्नलिखित से विद्युत्/विद्युत् इंजीनियरी में कोई उपाधि:—

- (1) भारत में केन्द्रीय/राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा सम्मिलित कोई विश्वविद्यालय, या
- (2) कोई शैक्षिक संस्थान जिसे संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाना घोषित किया गया है, या
- (3) जिसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं, जिन्हें परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता दी गई है, या

- (4) ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं से और ऐसी शर्तों के अधीन इंजीनियरी में डिग्री/डिप्लोमा, जिसे इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता दी जा सकेगी।

वांछनीय:

उक्त क्षेत्र में 2 वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

आयु सीमा

35 वर्ष से अनधिक।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में के अभ्यर्थियों से उनसे भिन्न, जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं, आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी।"

टिप्पण—मूल नियम भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना सं. 301/1/81-बी (डी) (सा. का. नि. 578 (अ1), तारीख 4-11-1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(1), तारीख 5-11-1981 में प्रकाशित किए गए थे और उनका बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:—

- (1) भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3(1), में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/1/81-बी (डी), सा. का. नि. 573(अ), तारीख 13-9-1982
- (2) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 301/14/85-बी (डी) सा. का. नि. 726, तारीख 6-9-1986।
- (3) भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3 (i) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. 2/4/86-एस-3/बी (डी), सा. का. नि. 774, तारीख 17-10-87।

[सं. 310/39/86-बी (डी)]  
बी. के. अरोड़ा, अवसर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 21st October, 1987

G.S.R. 868.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981, namely:—

1. (i) These rules may be called the Indian Broadcasting (Engineers) Service (Second Amendment), Rules, 1987.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Broadcasting (Engineers) Service Rules, 1981 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (2) of rule 7, clause (a) shall be renumbered as clause "(a)(i)" and after clause "(a)(i)" as so renumbered, the following shall be inserted, namely:—

"(a)(ii) Notwithstanding anything contained in clause (a)(i), the controlling authority may, in the event of

a short-fall of candidates through the examination, fill the vacancies in the junior scale through the Commission through any mode of recruitment to be decided by the Commission and in case the recruitment is made by direct recruitment either by holding special examination or by selection by interview, the educational qualifications and the age limit for such recruitment shall be as specified in Schedule-II A."

3. In rule 8 of the said rules after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely :—

"(3A) The seniority of persons recruited to the service under sub-rule (2)(a)(i) and sub-rule (2)(a)(ii) of the Rule 7, inter se seniority shall be determined with reference to the date of publication of the results of the examination/special examination, in respect of candidates recruited through examination, and with reference to the date of Commission's letter recommending the candidates, in respect of those recruited through any other mode of direct recruitment."

4. After Schedule II of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

#### "SCHEDULE II-A

[See sub-rule 2(a)(ii) of rule 7]

1. Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in Group 'A' in the Junior Scale included in the Indian Broadcasting (Engineers) Service through Union Public Service Commission.

A candidate shall possess :—  
Essential :

1. A Degree in Electronic/Electrical Engineering from :—

- (i) a University incorporated by an Act of the Central/State Legislature in India, or
- (ii) an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, or

(iii) possessing such other qualifications as have been recognised by Government for the purpose of admission to the examination, or

(iv) a Degree/Diploma in Engineering from such foreign Universities, Colleges, or Institutions and under such conditions as may be recognised by Government for the purpose from time to time.

Desirable :

2 years professional experience in the line.

Age limits :

Not exceeding 35 years.

(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government.)

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)."

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Extra-ordinary, Part-II, Section 3(i), dated 5-11-1981 vide Government notification, Ministry of Information and Broadcasting No. 301/1/81-B(D) GSR 578 (EI) dated 4-11-81 and was subsequently amended by,

- (i) Government notification No. 301/1/81-B(D) GSR 573(E) dated 13-9-1982 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(i).
- (ii) Government notification No. 301/14/85-B(D) GSR 726 dated 6-9-1986 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).
- (iii) Government notification No. 2/4/86-S. III/B(D) GSR 774 dated 17-10-1987 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i).

[No. 319/39/86-B(D)]

V. K. ARORA, Under Secy.